केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

दिनांक: 11.04.2016

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/20
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00020
CICOM/R/2015/01008

अपीलकर्ता : श्री मोनीष पोद्दार
सिंदगी रोड, विद्या नगर इंडी,
जी-विजयनगर (कर्नाटक),
पिन – 586209

निर्णय की तारीख : 11.04.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	06.10.2015
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	23.10.2015, 06.11.2015
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री जितेन्द्र खन्ना, श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	29.12.2015
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	102346/04.01.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	7/04.01.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 2 बिंदुओं पर दाखिल किए गए अपनी द्वितीय अपील जो कि उच्च न्यायालय, दिल्ली से संबंधित है (डायरी सं. 110155) से संबंधित जानकारी मांगी थी कि जिसके प्रतिउत्तर में श्री जितेन्द्र खन्ना, जन सूचना आधिकारी, आर.टी.आई. सेल तथा श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी (सी.आर.) द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. **संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि** श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी (सी.आर.) द्वारा पत्र सं. CIC/CPIO/CR/2015/562 दिनांक 06.11.2015 के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचित किया गया है कि उनका द्वितीय अपील डायरी सं.110155/12.02.2015 उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (वी.एस.) को अग्रसारित किया गया है तथा इस प्रत्र की प्रति उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (वी.एस.) कार्यालय को भी उक्त द्वितीय अपील (डायरी सं.110155) की स्थिति से अपीलकर्ता को अवगत कराने हेतु प्रेषित किया गया है, परन्तु उप-

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
13 APR 2016
Initials.........

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
13 APR 2016
D No.........
Initials.........

पंजीयक, सूचना आयुक्त (वी.एस.) कार्यालय द्वारा अपीलकर्ता को अभी तक वांछित सूचना प्रदान नहीं की गई है । तद्नुसार श्री एस.सी.शर्मा, उप-पंजीयक, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के सात कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना प्रदान की जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अधोहस्ताक्षरी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एस.सी.शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली ।

13/4/16

13-4-20